

उत्तर प्रदेश के चार और ज़िलों में गोंड जातको मला एसटी का दर्जा

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के चार और ज़िलों संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में गोंड जातको अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है।

प्रमुख बंदि

- समाज कल्याण के प्रमुख सचवि डा. हरओम ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए संबंधित ज़िलों के ज़िलाधिकारियों को नरिदेश भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संवधान (अनुसूचित जाति) व (अनुसूचित जनजातियों) उत्तर प्रदेश के क्रम में (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों) आदेश द्वितीय संशोधन को मंजूरी दे दी है।
- इसमें उत्तर प्रदेश में गोंड (धुरया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया है। इसके आधार पर मरिजापुर व सोनभद्र के साथ अब चार और ज़िलों संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली व भदोही में नविस करने वाली इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।